राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक एफ.वी.9(1)(4)(1)स्था/संबल/पार्ट/ दिनाक:

नियुक्ति आदेश

राजस्थान अधीनस्थ पशुपालन सेवा नियम 1977 के अनुसार कार्मिक (क–2 नियम) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.7(2)कार्मिक (क–2)05 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या प12(6) वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प13 (1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.03.2006, प 6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006, प 16 (5)वित्त/नियम/98 दिनांक 13.03.2006, प 1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं समय–समय पर हुए विभिन्न संशोधनों के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 22 की अनुसूची(वी) एवं अधिसूचना संख्या एफ 14(1) एफडी (रूल्स) 2013–II,दिनांक 28.08.2013 के अन्तर्गत पशुधन सहायक के पद पर वेतन श्रृखला पी.बी.1–5200–20200 ग्रेड पे रूपये 2800/– मे कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी(probation trainee) के रूप में रूपये 11820/–प्रति माह पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) की दर से पशुधन सहायक के पद पर नियुक्ति निम्न शर्तो पर करते हुये इनका पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चालचलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त के अध्याधीन की जा रही है। इसके लिए कार्यभार सम्भालने की दिनांक को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग के रिकार्ड के अनुसार चरित्र सन्तोषप्रद (Antecedent Certificate) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् ही कार्यग्रहण किया जा सकेगा।
3. विवाहित अभ्यार्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र" एवं दिनांक 01.06.2002 एवं इसके पश्चात् 2 से अधिक सन्तान उत्पन्न नही होने सम्बन्धी रू 10/– के नॉन – ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नही होगी।
5. उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि मे अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवां नियम में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगे। 2 वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इन्हे पशुधन सहायक पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य नियमानुसार भत्ते देय होंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प13(1)एफ.डी./रूल्स/03 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगे।
7. सम्बंन्धित नियंत्रण अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते है कि उनके अधीन कार्य ग्रहण करने वाले अभ्यार्थी से राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 नवीन चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेगे तथा इनकी शैक्षणिक योग्यता, पशुधन सहायक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस विभाग के रिकॉर्ड अनुसार चरित्र प्रमाण पत्र आदि की जॉच उनके मूल प्रमाण पत्रो के आधार पर